जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर **दिनांक – 22.07.2024**

थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत घटित घटना के सम्बंध में स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही विषयक।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 22.07.2024 को समय करीब 14.00 बजे सुरेन्द्रपाल पुत्र स्व0 मुरारी सिंह निवासी मौ0 अम्बेडकरनगर कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर जोकि नगीना रोड पर गैस स्टोर के सामने आने-जाने के लिये अपनी निजी भूमि पर सडक का निर्माण करा रहा था। इसी दौरान 1.नितिन पुत्र जगबहादुर 2.विशाल पुत्र स्व0 मुनेश 3.विशाल पुत्र राजाराम 4.मनोज पुत्र जयपाल 5.विक्की पुत्र राधे 6.पंकज व 7.बंटी पुत्रगण श्यामी 8.मोहित पुत्र राजाराम निवासीगण मौ0 सिंघाडियान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने अपने अन्य अज्ञात साथियों के साथ मिलकर गाली - गलौच करते हुए सुरेन्द्रपाल उपरोक्त के साथ लाठी - डंडो से मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस के ऊपर भी उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा पथराव किया गया। उक्त घटना में सुरेन्द्रपाल, निरंजन एवं रणधीर तथा थाना किरतपुर पर नियुक्त आरक्षी गौरव को चोट लगी है। सभी घायलों को उपचार हेतु सीएचसी, किरतपुर भेजा गया है, सभी की हालत सामान्य है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है।

पुलिस पर हमला एवं कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बंध में उ0नि0 श्री योगेश मावी की तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 315/24 धारा 121 / 132 / 109 / 352 / 351(2) बीएनएस व धारा 7 सी0एल0 एक्ट बनाम 08 – 10 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं शिकायतकर्ता सुरेन्द्रपाल के साथ मारपीट व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किये जाने के सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार मु0अ0सं0 316/24 धारा 191(2) / 191(3) / 190 / 115(2) / 351(2) / 352 / 109 / 3(5) बीएनएस, धारा 7 सी0एल0 एक्ट व धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट बनाम नितिन आदि कुल 08 नामजद एवं अज्ञात पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त नितिन को हिरासत में लिया गया है। पूछताछ कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 22.07.2024**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 350/24 धारा 137(2)/61(2)/140(2) बी0एन0एस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 शशांक (उम्र 11 वर्ष) पुत्र आशूतोष निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर थाना धामपुर क्षेत्रान्तर्गत शिखर शिशु सदन, स्कूल में पढने गया था। स्कूल की वैन, स्कूल से 04 बच्चो को लेकर बच्चो को घर छोडने के लिये निकली तथा स्कूल के ड्राइवर द्वारा प्रतिदिन की भांति समय करीब 02.25 बजे गांव की परचून की दुकान पर 04 बच्चो को उतार दिया, जिसमें से 03 बच्चे अपने घर पहुंच गये लेकिन शशांक अपने घर नही पहुंचा। इस संबंध में परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर तत्काल मु0अ0सं0 350/24 धारा 137(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अर्जुन को पूर्व में ही गिरफ्तार कर अपहृत शशांक को सकुशल बरामद किया जा चुका है तथा अभियुक्त गौरव को भी पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचनात्मक कार्यवाही के आधार पर अभियोग में 61(2) / 140(2) बी0एन0एस की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.07.2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सूर्यप्रताप उर्फ सूरज निराला पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सूर्यप्रताप उर्फ सूरज निराला पुत्र दिनेश कुमार निवासी ग्राम मीमला थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर

2-उ0नि0 पवन सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर

3-कां0 2179 सौरभ थाना धामपुर जनपद बिजनौर

4-म0 कां0 324 प्रवीणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 22.07.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	नगीना देहात	सतीश कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम लाडपुर चांदला
2	अफजलगढ	फईम पुत्र नसीम निवासी ग्राम मनियावाला

थाना नगीना देहात

थाना अफजलगढ

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना को0 शहर **दिनांक- 22.07.2024**

थाना को0 शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 680/24 धारा 191(2)(3)/190/333/351(2)(3)/109/118(1) बी0एन0एस0 मे वांछित 02 अभियुक्तो को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण :-

दिनांक 21.07.2024 को वादी ने थाना को0 शहर पर तहरीर दी कि गफ्फार पुत्र सुल्तान व यूसुफ पुत्र युनूस द्वारा अपने 10 साथियो समस्त निवासीगण दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के साथ एक राय होकर वादी की दुकान में घुसकर वादी व वादी के परिजनो के साथ गाली गलौच करते हुए लाठी-डन्डो आदि से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना को0 शहर पर मु0अ0सं0 680/24 धारा 191(2)(3)/190/333/351(2)(3)/109/118(1) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही विवरण:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.गफ्फार पुत्र सुल्तान व 2.यूसुफ पुत्र युनूस निवासीगण ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.गफ्फार पुत्र सुल्तान ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.यूसुफ पुत्र युनूस निवासी ग्राम दारानगर गंज थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संदीप पंवार थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

2.हे0का0 11 राजेश प्रताप थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

3.का0 1797 संदीप थाना को0 शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 22.07.2024**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 270/24 धारा 420/406/467/468/471 भादवि मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 31.05.2024 को वादी श्री मदनपाल सिंह पुत्र नरदेव सिंह निवासी कुतुबपुर गांवडी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शमशाद अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 सराय रफी फीना रोड थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के पुत्र विमल कुमार की बैंक में नौकरी लगवाने एवं नौकरी लगने के पश्चात 90 प्रतिशत पैसे वापस कर दिये जाने के नाम पर दिनांक 29.10.2022 तक विभिन्न माध्यमों से वादी से ₹ 85,00,000 / - ले लिये। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 270/24 धारा 420/406 भादवि बनाम शमशाद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 467/468/471 भादवि की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 22.07.2024 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शमशाद अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 सराय रफी फीना रोड थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर स्थायी पता ग्राम सुल्तानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शमशाद अहमद पुत्र शमीम अहमद निवासी मौ0 सराय रफी फीना रोड थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर स्थायी पता ग्राम सुल्तानपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 138/18 धारा 420/406 भादवि थाना ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद
2. मु0अ0सं0 129/20 धारा 120बी/406/420/467/471 भादवि थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 270/24 धारा 420/406/467/468/471 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 श्री सुभाष राणा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2. हे0कां0 545 राहुल कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3. कां0 585 सौरभ कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः-22.07.2024**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नगीना पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के 04 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी को 08 वर्ष के कारावास व कुल 1,30,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 24.08.2017 को वादी श्री जयप्रकाश सिंह पुत्र हरदेव सिंह निवासी ग्राम भूरापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण पुखराज उर्फ पप्पू पुत्र चमन सिंह, मनोज पुत्र सौनाथ सिंह, काले उर्फ कल्याण पुत्र चमन सिंह, मामराज पुत्र सौनाथ सिंह व एक बाल अपचारी द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी के बेटे के साथ लाठी डंडो से मारपीट की गयी, जिसमें वादी के बेटे की मृत्यु हो गई तथा झगडे में वादी के भाई की पत्नी भी घायल हो गई। इस संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 463/17 धारा 147/148/452/323/302/504 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 22.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 463/2017 उपरोक्त में अभियुक्तगण 1- पुखराज उर्फ पप्पू पुत्र चमन सिंह 2- मनोज पुत्र सौनाथ सिंह 3- काले उर्फ कल्याण पुत्र चमन सिंह 4- मामराज पुत्र सौनाथ सिंह निवासीगण ग्राम भूरापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास व एक बाल अपचारी को 08 वर्ष के कारावास व कुल 1,30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1-पुखराज उर्फ पप्पू पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम भूरापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

2-मनोज पुत्र सौनाथ सिंह निवासी ग्राम भूरापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

3-काले उर्फ कल्याण पुत्र चमन सिंह निवासी ग्राम भूरापुर थाना नगीना जनपद बिजनौर।

4-मामराज पुत्र सौनाथ सिंह निवासी ग्राम भूरपुरा थाना नगीना जनपद बिजनौर।

5-एक बाल अपचारी

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नहटौर **दिनांक- 22.07.2024**

थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत सडक दुर्घटना में एक कावडियें की दुखद मृत्यु हो जाने के संबंध में।

अवगत कराना है कि मोटरसाईकिल न0 UP24V-8795 से 1- अनमोल पुत्र बट्टे व 2- राजन पुत्र राजेन्द्र नि0गण मोहल्ला गुलाबबाग कस्बा व थाना बिसौली जनपद बदायूँ एवं दूसरी मो0सा0 UP24AH-8461 से उनके दो अन्य साथी सूरज पुत्र पप्पू व शिवम पुत्र महावीर नि0गण कस्बा व थाना बिसौली जनपद बदायूँ, कांवड लेने हरिद्वार जा रहे थे कि आज दिनांक 22.07.2024 को समय 12.15 बजे कस्बा नहटौर से कोतवाली देहात को जाने वाले मार्ग पर मोटरसाइकिल (UP24V-8795) सडक के घुमाव पर फिसल गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनो कांवडिये गिरकर घायल हो गये।

सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा दोनो घायलों को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी नहटौर ले जाया गया, जहां चिकित्सको द्वारा अनमोल पुत्र बट्टे मोहल्ला गुलाबबाग कस्बा व थाना बिसौली जनपद बदायूँ को मृत घोषित कर दिया गया व घायल राजन पुत्र राजेन्द्र को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बिजनौर रेफर किया गया, जहां उसे भर्ती किया गया। घायल राजन पुत्र राजेन्द्र उपरोक्त के द्वारा बताया गया कि उनकी मोटरसाईकिल को अनमोल चला रहा था और मोटरसाईकिल मोड पर कन्ट्रोल नहीं हुई, जिससे मोटरसाईकिल गिर गई। पुलिस द्वारा शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।